>

Title: Need to provide Scheduled Tribe certificates to all the persons belonging to the 'Gond' Tribe in Uttar Pradesh.

श्री बाल कुमार पटेल (मिर्ज़ापुर): भारत सरकार की मंशा समाज के निर्बल वर्गों को प्रोत्साहन एवं अपेक्षित संरक्षण देने की सुस्पष्ट अवधारणा से कम में जातियों को अधिसूचित किया गया है। स्पष्ट शासनादेश होने के बावजूद भी उत्तर प्रदेश में पूर्व में अनुसूचित जाति गोंड जो कि कालान्तर में अनुसूचित जनजाति के रूप में अधिसूचित हुई, को कभी जाति प्रमाण पत्र जारी किये जाते हैं, तो कभी वर्तनी या व्यवसाय को आधार मानकर जाति प्रमाण पत्र जारी करना बन्द कर दिया जाता है। 30.01.2007 के शासनादेश द्वारा 13 जनपदों में गोंड जाति को अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में घोषित किया गया है। वर्ष 2010 तक प्रमाण पत्र सक्षम अधिकारियों द्वारा जारी किये जाते रहे, परन्तु उसके बाद व्यवसाय को आधार बनाकर या वर्तनी का दोष बताकर जाति प्रमाण पत्र जारी करना बन्द कर दिया गया है। यदि किसी के माता-पिता अनुसूचित जाति/जनजाति के रहे हों तो सन्तान कैसे पिछड़ी जाति की हो सकती है। किसी व्यक्ति को जाति प्रमाण पत्र जारी करने के उपरान्त क्या यह संभव है कि जीवनकाल में ही उसकी जाति बदल जाये, ऐसा संभव नहीं है।

अस्तु भारत सरकार से मांग करता हूं कि गोंड जाति के उक्त निर्बल व्यक्तियों के प्रोत्साहन एवं अपेक्षित संरक्षण हेतु जारी निर्देशों के अनुपालन हेतु व्यवस्था करे एवं किसी व्यक्ति के जारी वैधानिक जाति प्रमाण पत्र को संविधान में अधिसूचित समय तक मान्यता प्रदान करने की कृपा करें।